न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी ,बुण्डू(राँची)

वाद सं०–एम०पी०–77 / 2018 धारा–144 द०प्र०सं०

निरंजन मुण्डा .....प्रथम पक्ष

बनाम

रथू मुण्डा .....द्वितीय पक्ष

	आदेश
09 / 07 / 2020	प्रस्तुत वाद में आवेदक के द्वारा आवेदन दिया गया है कि विपक्षी के द्वारा निम्न भूमि को जोर–जबरजस्ती कब्जा करना चाहते है। फलस्वरूप शांति भंग होने की संभावना बनी हुई है। उन्होंने अनुरोध किया है कि दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा–144 के तहत कार्यवाही प्रारंभ किया जाय।

विवादित भूमि विवरणी

मौजा–तमाड़, थाना–तमाड़,

खाता सं०	प्लॉट सं०	रकवा	चौहदी
1837	2069	1.32 ए०	उ०–निरंजन (निज) द०–प्लॉट सं0 2068 पू०–रास्ता प०–प्लॉट 2070 / 2080
1985	2071	1.30 ए०	उ०–प्लॉट 2072 द०–निरंजन / 2070 पू०–रास्ता प०–प्लॉट 2069 / 2080

अंचल अधिकारी तमाड़ एवं थाना प्रभारी तमाड़ से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई। उभय पक्षों को अपना पक्ष रखने हेतु नोटिस निर्गत किया गया।

प्रथम पक्ष

प्रथम पक्ष की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता अपने आवेदन में निम्न उल्लेख किये हैं:–

1. यह है कि वर्णित जायदाद आर0एस0 खतियान में लखन मुण्डारी पिता– कोलाई मुण्डारी के नाम से दर्ज है। जो प्रथम पक्ष के दादाजी है एवं दखलकार है। परंतु प्रथम पक्ष के द्वारा द्वितीय पक्ष को अधबटाई के रूप में वर्ष 2014 से 2017 तक दिया गया था। परंतु द्वितीय पक्ष के द्वारा प्रथम पक्ष को वर्ष 2017 में अधबटाई नहीं दिया। विवादित जमीन पर द्वितीय पक्ष का किसी प्रकार का हक एवं दावा नहीं बनता है।

2. यह है कि विवादित जमीन पर ही उभय पक्षो के बीच द0प्र0स0 की धारा 107 के तहत मुकदमा चला था जिसका वाद सं0 109 / 2018 है।

3. यह है कि विवादित जमीन का बंडापर्चा केशोवोती देवी व सुमित्रा देवी पिता–लखन मुण्डारी के नाम से बना है। जो की द्वितीय पक्ष का हक मे दावा नहीं बनता है। विवादित जमीन को द्वितीय पक्ष जोरजबरजस्ती कब्जा करना चाहते है। विवादित जमीन को लेकर द्वितीय पक्ष के हाथों ही शांति भंग होने की संभावना बनी हुई है। उन्होने दण्ड प्रकिया संहिता की धारा–144 के तहत कार्यवाही प्रारंभ करते हुए प्रथम पक्ष के हित में रिक्त एवं इसी नियम पर द्वितीय पक्ष के विरूद्ध में प्रतिबंधित करने हेतु अनुरोध किया गया है।

09/07/2020

द्वितीय पक्ष

द्वितीय पक्ष की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता अपने पक्ष में निम्न उल्लेख किये हैं:–

1. यह है कि विवादित जमीन सर्वे खतियान में लखन मुण्डारी पिता–कल्हु मुण्डा के नाम से दर्ज है।

2. यह है कि द्वितीय पक्ष के पिता–हड़िया मुण्डा पिता–स्व0 राम मुण्डा ने आर0एस0 खाता नं0 1837 प्लॉट नं0 2039 रकवा–1.38 ए0 एवं आर0एस0 खाता सं0 1985 प्लॉट सं0 2071 रकवा 1.33 ए0 भूमि को खतियानी रैयत लखन मुण्डा से संन 15/05/1941 ई0 को नगद 95 रूपये दे कर सादा पट्टा से प्रप्त किये है। एवं दखलकार भी है। हड़िया मुण्डा के मृत्यु के पश्चात एक मात्र पुत्र स्थु मुण्डा (द्वितीय पक्ष) दखलकार भी है।

3. यह है कि द्वितीय पक्ष के पिता बहुत गरीब एवं अज्ञानी होने के कारण अंचल कार्यालय तमाड़ से दाखिल खारिज नहीं हो सका।

4. यह है कि Transfer of property Act के आधार पर 100 रूपये के नीचे के पट्टा पर निबंधन कराने की आवश्यकता नहीं है। यह है कि सन् 1947 ई0 के पूर्व का आदिवाशी जमीन का हस्तांतरण में अनुमति की आवश्यकता नहीं थी। प्रथम पक्ष का आवेदन खारिज योग्य है।

5. यह है कि विवादित जमीन पर प्रथम पक्ष का किसी प्रकार का हक एवं दावा नहीं बनता है। उन्होने प्रथम पक्ष के आवेदन को खारिज करने हेतु अनुरोध किया गया है।

उभय पक्ष के बहस को सुनने, अंचल प्रतिवेदन एवं दाखिल किये गये कागजातों के अवलोकन से प्रतीत होता है कि विवादित जमीन को प्रथम पक्ष खतियानी रैयत के वंशज के आधार पर दावा कर रहे है एवं द्वितीय पक्ष विवादित जमीन को सादा पट्टा के आधर पर दावा कर रहा है। प्रतीत होता है कि विवादित जमीन को लेकर द्वितीय पक्ष के हांथो ही शांति भंग होने की संभावना बनी हुई है। अतः विवादित भूमि को लेकर द0प्र0स0 की धारा 144 के तहत कार्यवाही प्रारंभ करते हुए प्रथम पक्ष के हित में रिक्त एवं इसी नियम पर द्वितीय पक्ष के विरूद्ध प्रतिबंधित किया जाता है। इसी निरूपण के साथ वाद की कार्यवाही को समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

09/07

अनुमण्डल दण्डाधिकारी
बुण्डू(राँची)

09/07

अनुमण्डल दण्डाधिकारी
बुण्डू(राँची)